राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4 (ई)/(60/2011)/अलेसे–III/ 408 दिनांक 15/7/2016

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार को आगामी सत्र के लिए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या चार में वर्णित परीक्षाओ में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। :–

नाम कनिष्ठ लेखाकार	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय	परीक्षा का नाम	विशेष विवरण
श्री अरविन्द कुमार शर्मा	कोषालय चितौडगड़	1. कम्पनी सचिव (Executive Programme) परीक्षा दिसम्बर 2015, जुन 2016 एवं दिसम्बर 2016	1. भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान नई दिल्ली
		2. चार्टेड़ एकाउन्टेड़ (C.A FINAL)परीक्षा मई 2016 एवं नवम्बर 2016	2. भारतीय कम्पनी सचिप संस्थान नई दिल्ली
		3. एम.बी.ए	3. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा

उक्त परीक्षाओं में राजस्थान सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानो एवं आपके नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन सम्मिलित होने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

2 राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

5 जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा रही है उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उसका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा सकता है।

7 अध्ययन से राजसेवक के दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

8 अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

10 प्रशासनिक कारणों से अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:– एफ.4 (ई)/(60/2011)/अलेसे–III/ 408 दिनांक 15/7/2016

प्रतिलिपिः–

1. कोषाधिकारी चितौड़गढ़ ।
2. श्रीं अरविन्द कुमार शर्मा कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषालय चितौड़गढ़।
3. ए.सी.पी. कम्प्युटर शाखा।

~~अतिरिक्त~~/संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)